न्यायालय तहसीलदार, चिड़ावा जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी ::: बृजेश कुमार (R.T.S.)

मिसल नं. ::: 22/2017

सरकार बनाम प्रताप पुत्र प्रभुराम जाति कुम्हार निवासी जोडिया

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 08.11.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल प्रताप पुत्र प्रभुराम जाति कुम्हार निवासी जोडिया द्वारा ग्राम जोडिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 542 कुल रकबा 0.24 हैक्टे. किस्म गै.मु.जोहड़ में से 0.04 हैक्टे पर पक्का मकान व कुरडी, छडीया डालकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। गैर सालय के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय हेतु पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 542 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मन्दिर श्री गोपीनाथ जी वाके देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अतः मन्दिर की खातेदारी भूमि में धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है अतः पत्रावली खारीज की जाती है परन्तु मन्दिर भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा होना भी उचित एवं न्याय संगत नही है। अतः कार्यालय हाजा के राजस्व लिपिक को आदेशित किया जाता है कि मन्दिर भूमि में अन्य लोगो द्वारा किये गये कब्जे को बेदखल करवाने हेतु अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र सक्षम न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा के समक्ष 10 दिवस में प्रस्तुत करे।

मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
तहसीलदार चिड़ावा
तहसीलदार - चिड़ावा